न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस

पत्रावली संख्याः– 07 / 2018 / निगरानी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री संपत कुमार सैनी, विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राज0

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत, ग्राम अजीतगढ़, जरिये ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत अजीतगढ़, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश (प्रस्ताव संख्या 3) दिनांक 02.10.2017
योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर

वकील प्रार्थी श्री निरंजन शर्मा
वकील अप्रार्थी श्री अभिषेक कुमावत

निर्णय **दिनांकः–05.03.2019**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत अजीतगढ़ की ग्राम सभा में बैठक दिनांक 02.10.2017 में पारित किये गये प्रस्ताव संख्या 3 के अनुसार ग्राम अजीतगढ में कुल 15 स्थानों पर कचरा पात्र लगाने का भी निर्णय किया गया। उक्त प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 13 में पंचायत भवन अजीतगढ़ के दायें व बायें भाग में कचरा पात्र लगाने का निर्णय लिया, जिसकी पालना में कुल 95,000/– रूपये की वितिय स्वीकृति अप्रार्थीगण द्वारा जारी की गई। उक्त निर्णय की पालना में ग्राम पंचायत कार्यालय, अजीतगढ़ के सामने च्वाईस गारमेंट दुकान के पास एक कचरा पात्र लगाया गया। जिस पर च्वाईस गारमेंट के प्रोपराईटर हेमंत पारिक द्वारा अपनी दुकान के पास ग्राम पंचायत द्वारा कचरा पात्र लगा देने से दुकान में दुर्गन्ध व गंदगी से ग्राहकों पर प्रभाव पड़ने का आधार लेते हुए उक्त कचरा पात्र वहां से हटवाकर अन्यत्र स्थान पर स्थापित किये जाने की शिकायत राजस्थान सम्पर्क पर जरिये परिवाद संख्या 12170782821570 की गई एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, सीकर को भी दिनांक 06.02.2018 को इसी आशय का एक पत्र प्रेषित कर उक्त शिकायत का निवारण करने की प्रार्थना की गई। जिसकी अनुपालना में निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 22.01.2018 को जांच करते हुए मौका देखा गया तथा पाया कि मौके पर कचरा पात्र शिकायतकर्ता की असुविधा के कारण अन्यत्र स्थान ग्राम सेवा सहकारी समिति अजीतगढ़ के पास ट्रांसफार्मर है के पास पड़ी खाली जमीन पर लगाया जा सकता है। उक्त जांच के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थीगण को इस संबंध में तीन दिवस में क्रियान्विति कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। जिस पर आवेदक के पत्र पर पुर्नविचार कर सूचित कर देने का जवाब अप्रार्थीगण की ओर से प्रेषित किया गया। तत्पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा पुर्नविचार न करके एक सिविल वाद मय अस्थायी निषेद्याज्ञा आवेदन माननीय न्यायालय सिविल जज महोदय, श्रीमाधोपुर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से आवेदक के विरूद्ध प्रस्तुत कर दिया जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.02.2018 को ... [illegible] ... कर दिया गया। निगरानी अधीन प्रकरण में पुनः पंचायत

ग्राम सभा में पारित प्रस्तावों की सूचना ग्राम सभा द्वारा संबंधित पंचायत समिति को अतिशीघ्र दी जावे। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में ग्राम सभा के निर्धारित सदस्यों के कोरम के समक्ष अपस्थिति में कोई प्रस्ताव या आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नियमों की अवहेलना करते हुए प्रस्ताव संख्या 3 पारित किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा किये गये कियाकलापों, गतिविधियों, कार्यवाहियों आदि के पर्यवेक्षण का अधिकार पंचायत समिति को प्राप्त है। ग्राम पंचायत द्वारा कोई अनुचित कार्य का प्रस्ताव लिया जाता है तो उसके संबंध में पंचायत समिति निर्देश जारी कर सकती है, जिसे मानना ग्राम पंचायत के लिये अनिवार्य है। ग्राम पंचायत द्वारा कोई प्रस्ताव विधि सम्मत रूप से पारित नहीं किया जाता है या विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों के बाहर जाकर कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है तो ऐसा प्रस्ताव या आदेश पंचायतीराज अधिनियम की धारा 92 के तहत रद्द किया जा सकता है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 107 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि यदि दो पंचायतीराज संस्थाओं के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जावे तो ऐसा विवाद निपटाने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित किया जावेगा, अतऐव आवेदक को यह निगरानी प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर योग्य ग्राम पंचायत अजीतगढ़ द्वारा पारित आदेश प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 02.10.2017 में वर्णित मद संख्या 13 की हद तक उचित निर्देश दिये जाकर उक्त प्रस्ताव संख्या 3 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री अभिषेक कुमावत उपस्थित आये। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया एवं बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा दिनांक 08.08.2018 को जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अंकित किया है कि "ग्राम पंचायत अजीतगढ़ की ग्रामसभा दिनांकित 02.10.2017 में पारित प्रस्ताव संख्या 3 के अनुसार ग्राम पंचायत अजीतगढ़ में कुल पन्द्रह स्थानों पर कचरा पात्र लगाने का निर्णय पूर्णतया विधिनुसार लिया गया था एवं ग्राम पंचायत भवन के सामने ग्राम पंचायत की सीमाओं में लगे कचरा पात्र के बाबत निगरानीकर्ता द्वारा विभिन्न उच्चाधिकारियों को शिकायत करना राजनैतिक दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही है। माननीय न्यायालय सिविल जज महोदय श्रीमाधोपुर के समक्ष गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा इसी कम में निगरानीकर्ता के विरूद्ध व्यक्तिगत रूप से वाद पत्र मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दायर किया गया था। ग्राम पंचायत अजीतगढ़ द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांकित 02.10.2017 कतई गलत या चुनौतिग्रस्त नही है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 ग्राम पंचायत अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर द्वारा ग्राम आबादी क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा संग्रहण व निस्तारण हेतु ग्राम सभा दिनांक 02.10.2017 के प्रस्ताव संख्या 3 की अनुपालना में ग्राम आबादी क्षैत्र में चिह्नित 15 विविध स्थानों पर कचरा पात्र लगवाये गये है, जिनसे मानव जीवन, स्वास्थ्य एवं शांतिभंग होने जैसा कोई अंदेशा नही है। जनहित में लगाये गये उक्त कचरा पात्र किसी प्रकार से विधि विरूद्ध नही है। निगरानीकर्ता ने राजनैतिक दबाव में आकर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ग्रामसेवक/पदेन सचिव ग्राम पंचायत अजीतगढ़ को पत्र प्रेषित कर उक्त कचरा पात्र हटाने का विधि विरूद्ध आदेश दिया था। निगरानीकर्ता के उक्त आदेश के लिखित जवाब मय मौका रिपोर्ट दिनांकित 26.01.2018 के बावजूद निगरानीकर्ता ने एकतरफा रवैया अपनाते हुये बगैर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 को सुनवाई का अवसर प्रदान किये ग्रामसेवक/पदेन सचिव को जरिये पत्रांक पंसश्री/पंचायत /2017–18/8484 दिनांक 01.02.2018 उक्त कचरा पात्र हटाने बाबत आदेशित किया व मुकामी पुलिस थाना अजीतगढ से जरिये पत्रांक पंसश्री/पंचायत/2017–18/8484 दिनांक 01.02.2018 उक्त कचरा पात्र हटाने हेतु पुलिस इमदार मांगी। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 8(क) (7) एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 8(1) के अनुसार किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित ग्राम सभा में संबधित पंचायत समिति का विकास अधिकारी या उसका नाम निर्देशित व्यक्ति

की सम्पूर्ण विवेचना की गई है। गौरतलब है कि उक्त प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा गैरनिगरानीकर्ता ग्राम पंचायत अजीतगढ को धारा 92 की उपधारा 2 के तहत कार्यवाही करने से पूर्व स्पष्टीकरण हेतु कोई युक्तियुक्त अवसर नही दिया गया वरन् एकपक्षीय रूप से बगैर स्वनिरीक्षण ग्राम सभा के प्रस्ताव संख्या 3 दिनांकित 02.10.2017 को पलटते हुये ग्राम जनता के सामूहिक संकल्प को निरस्त करने का गैरकानूनी कार्य किया है। निगरानीकर्ता को उक्त प्रकरण पंचायती समिति की प्रवर समिति में अपील के रूप में संस्थित करते हुये गैरनिगरानीकर्ता ग्राम पंचायत को सुनवाई का अवसर दिया जाना अत्यावश्यक था, इसलिये उक्त विवादित प्रस्ताव अपरिवर्तनीय व अनिरस्तनीय है। धारा 97 पंचायती राज अधिनियम की उपधारा 3 के अनुसार निगरानीकर्ता को ग्राम सभा दिनांकित 02.10.2017 के उक्त प्रस्ताव संख्या 3 को पारित किये जाने के 90 दिवस के भीतर–भीतर उक्त आदेश का पुर्नविलोकन करना था, परन्तु ऐसा नही किया जाकर निगरानीकर्ता द्वारा एक पक्षीय रूप से कार्यवाही की गई। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्यवाहियों के संबंध में किसी पंचायतीराज संस्था या उसकी स्थाई समिति या उपसमिति का अभिलेख, उनमें पारित किसी भी निश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में ऐसी कार्यवाहियों की नियमितत के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिये मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और किसी भी मामले में यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुर्नविचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिये, तो वह तद्नुसार आदेश पारित करने बाबत अधिकृत है, राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांकित 03.12.1996 के द्वारा धारा 97 की शक्तियों के परिप्रेक्ष में जिला कलेक्टर को भी प्रत्यायोजित थी, परन्तु राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक :– एफ 139(5) परावि/शिक्षा/2000/294 दिनांकित 01.02.2002 के द्वारा जिला कलेक्टर को धारा 97 के अंतर्गत शक्तियां प्रयोग करने के लिये अनाधिकृत कर दिया गया है। अतः इस प्रकार के प्रकरणों में उक्त तिथि के बाद कोई सुनवाई नही की जावे एवं समस्त प्रकरण राज्य सरकार को अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जावे। उल्लेखनीय है कि किसी भी ग्राम पंचायत के आदेश के विरूद्ध अपील ही संधारित की जा सकती है, जिला कलेक्टर को पुनरीक्षण नही। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 32 में ग्राम पंचायत जरिये सरपंच के समस्त कृत्य, कर्तव्य व दायित्वों का विस्तारपूर्वक बर्णन किया गया है, जिनमें ग्रामीण स्वच्छता के बिन्दु के मध्यनजर उक्त विवादित प्रस्ताव पारित किया गया है। पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत के किसी भी निर्णय से व्यथित व्यक्ति संबंधित निर्णय के विरूद्ध अपील में दी गई पंचायत समिति की आज्ञा के विरूद्ध राज्य सरकार को पुनरीक्षण कर सकता है। उक्त प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत के निर्णय दिनांकित 02.10.2017 के विरूद्ध ना तो कोई अपील संस्थित की गई एवं ना ही राज्य सरकार के समक्ष कोई पुनरीक्षण का आवेदन प्रस्तुत किया गया। अतः जवाब निगरानी प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि निगरानीकर्ता की निगरानी सव्यय खारिज फरमाई जावे।" अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत अजीतगढ़ द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 02.10.2017 की पालना में ग्राम पंचायत अजीतगढ़ द्वारा लगाये गये कचरा पात्र के विरूद्ध राजस्थान सम्पर्क पर शिकायत दर्ज करवाई गई। जिसकी अनुपालना में निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 22.01.2018 को मौका जांच कर अंकित किया कि मौके पर कचरा पात्र शिकायतकर्ता की असुविधा के कारण अन्यत्र स्थान ग्राम सेवा सहकारी समिति अजीतगढ़ के पास ट्रांसफार्मर है के पास पड़ी खाली जमीन पर लगाया जा सकता है। इसी सम्बंध में पंचायत समिति द्वारा दिनांक 28.03.2018 को पुनः मौका जांच करवाई गई, जिसमें उक्त शिकायतकर्ता का सुखाचार प्रभावित होना वर्णित किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 02.10.2017 को पारित प्रस्ताव नियम विरूद्ध एवं अनुचित तरीके से पारित किया हुआ है। पंचायतीराज अधिनियमों के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित

Web Copy Not Official

प्रावधान किया गया है कि यदि दो पंचायतीराज संस्थाओं के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जावे तो ऐसा विवाद निपटाने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित किया जावेगा, इस कारण उक्त निगरानी प्रस्तुत की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत अजीतगढ़ द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 02.10.2017 को निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस सूची दस्तावेज के सलंग्न राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज शिकायत की प्रति, शिकायतकर्ता हेमंत पारीक द्वारा जिला कलक्टर, सीकर को प्रस्तुत शिकायत की प्रति, विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीमाधोपुर द्वारा जारी पत्र दिनांक 22.01.2018 की प्रति, न्यायालय सिविल न्यायाधीश श्रीमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत वाद की प्रति एवं न्यायालय सिविल न्यायाधीश श्रीमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.02.2018 की फोटो प्रति आदि पेश की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत अजीतगढ़ द्वारा ग्राम आबादी क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा संग्रहण व निस्तारण हेतु सभा दिनांक 02.10.2017 में पारित प्रस्ताव संख्या 3 के अनुसार ग्राम पंचायत अजीतगढ़ में पन्द्रह स्थानों पर कचरा पात्र लगाने का निर्णय लिया गया। ग्राम सभा में पारित किये गये उक्त प्रस्ताव के मुताबिक आबादी क्षेत्र में 15 स्थान चिन्हित कर कचरा पात्र लगाये गये, जो गलत/अनुचित एवं विधि विरूद्ध नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिये बिना ही शिकायतकर्ता हेमन्त पारिक द्वारा प्रस्तुत शिकायत के आधार पर एकतरफा कार्यवाही करते हुये गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 को उक्त कचरा पात्र हटाने का आदेश पारित कर दिया गया। निगरानीकर्ता को ग्राम सभा प्रस्ताव की जानकारी होते हुए भी राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की घोर अवहेलना की है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 32(1) व 32(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों व कर्तव्यों के मध्यनजर ही त्वरित अनुतोष हेतु सिविल न्यायालय में वाद दायर किया था। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 8(क)(7) व नियम 1996 के नियम 8(1) के अनुसार किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित ग्राम सभा में सम्बंधित पंचायत समिति का विकास अधिकारी या उसका नाम निर्देशित व्यक्ति उपस्थित रहेगा। अधिनियम के अनुसार विकास अधिकारी द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति पंचायत प्रसार अधिकारी होगा। ग्राम सभा दिनांक 02.10.2017 में पंचायत समिति श्रीमाधोपुर की और से पंचायत प्रसार अधिकारी श्री गोविन्दराम शर्मा उपस्थित थे, इसलिये उक्त प्रस्ताव अपरिवर्तन व अनिरस्तनीय है। ग्राम सभा में वांछनीय पूर्ण कोरम उपस्थित था। निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत अजीतगढ़ को अपना पक्ष रखे जाने हेतु कोई अवसर नहीं दिया गया, ना ही उक्त विवादित बिन्दु पंचायत समिति की स्थाई समिति में विचारार्थ हेतु प्रस्तुत किया गया। निगरानीकर्ता को उक्त प्रकरण पंचायत समिति की प्रवर समिति में अपील प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 03.12.1996 के द्वारा धारा 97 की शक्तियों के परिप्रेक्ष में जिला कलक्टर को सुनवाई का क्षेत्राधिकार था, परन्तु राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमाक– एफ 139(5) पराविं/शिक्षा/2000/294 दिनांक 01.02.2002 के द्वारा जिला कलक्टर को धारा 97 के अन्तर्गत शक्तियां प्रयोग करने के लिये अनाधिकृत कर दिया गया है। तत्पश्चात् अंत में निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी ने सूची दस्तावेज के सलंग्न राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 96–97, धारा 59, धारा 61 आदि की फोटो प्रतियां एवं न्यायालय सिविल न्यायाधीश श्रीमाधोपुर के समक्ष प्रस्तत वाद की प्रमाणित प्रति पेश की।

अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 03.12.1996 के द्वारा धारा 97 की शक्तियों के परिप्रेक्ष में जिला कलक्टर को सुनवाई का क्षेत्राधिकार था, परन्तु राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमाक– एफ 139(5) पराविं/शिक्षा/2000/294 दिनांक 01.02.2002 के द्वारा जिला कलक्टर को धारा 97 के अन्तर्गत शक्तियां प्रयोग करने के लिये अनाधिकृत कर दिया गया है। इस सम्बंध में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994/177 की धारा

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

कलक्टर को दिनांक 3.12.96 को प्रदान किये गये अधिकारों को उसी दिनांक से पुनर्स्थापित किया गया है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को है। अपीलार्थी का कथन है कि ग्राम सभा में पंचायत समिति के विकास अधिकारी की उपस्थिति अपेक्षित होती है। जबकि इस सम्बंध में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 का नियम 8 अवलोकनीय है जिसमें विकास अधिकारी या उनका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति पंचायत प्रसार अधिकारी उपस्थित होगा। अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त ग्राम सभा रजिस्टर में दिनांक 02.10.2017 को रखी गयी ग्राम सभा में उपस्थिति की क्रम संख्या 7 पर गोविन्दराम शर्मा पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति श्रीमाधोपुर की उपस्थिति दर्ज की गई है। पंचायत प्रसार अधिकारी जो कि विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीमाधोपुर की हैसियत से ग्राम सभा में उपस्थित हुए है। शिकायतकर्ता श्री हेमन्त पारीक द्वारा शिकायत प्रस्तुत करने पर विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में पारित किये गये प्रस्ताव को अनदेखा किया जाकर उक्त कचरा पात्र को हटाने के सम्बंध में ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत अजीतगढ़ को आदेश पारित कर दिया गया। अपीलार्थी के द्वारा तर्क दिया गया है कि पर्यवेक्षण का अधिकार पंचायत समिति को प्राप्त है, परन्तु विकास अधिकारी के स्तर से ही ग्राम पंचायत को आदेशित/निर्देशित किया गया है, जबकि पंचायत समिति की प्रवर समिति के माध्यम से सक्षम निर्णय लिया जाना उचित रहता। अपीलार्थी के द्वारा ग्राम पंचायत के निर्णय की सक्षम स्तर पर अपील की जानी चाहिये थी, न कि स्वयं के स्तर से ही आदेश जारी किया जावे। विकास अधिकारी द्वारा उक्त विवादित बिन्दु पंचायत समिति की स्थाई समिति में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए था या समिति के समक्ष अपील के माध्यम से सुनवाई कर निर्णय किया जाना चाहिये था। उक्त प्रकरण पंचायत समिति की प्रवर समिति में अपील प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार निर्णय लिया जाना चाहिए था। अतः उपरोक्त विवेचन से यह सिद्व होता है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीमाधोपुर द्वारा ग्राम पंचायत को निर्देश या आदेश पंचायती राज अधिनियम की अनुपालना में जारी नहीं किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ पंचायत समिति की प्रवर समिति/स्थायी प्रशासनिक समिति को प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/3/19

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official